सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 03, गुरूवार, *शाके 1946*-जुलाई 25, *2024*	
Sravana 03, Thursday, Saka 1946- July 25, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, जून 19, 2024

संख्या प. 2(20)वन/2024 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्व नही किये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्है लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादक में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुयेए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ओफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्है लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती है। तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11, (1) 12,13,14,17,18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वनभूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विषेष के वर्तमान अधिकारो में किसी भी प्रकार की कमी नही आयेगी। और न उन पर कोई प्रभाव प्रडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त सरंक्षित वन के ये वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, राज.पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरो को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की

वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्न - प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची								
क्र.स.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा विवरण	नाम ग्राम	खसरा नं.	क्षैत्रफल हैक्टर मे	भूमि किस्म
1	किशनपुरा	अटरू	बारां	उतर:- खसरा न. 1 नाला दक्षिण:-खसरा न. 7 एवं 8 चारागाह भूमि पश्चिम:- खसरा न. 1 नाला पूर्व:-:-खसरा न. 11, 12 चारागाह भूमि एवं ख. न. 13 खातेदारी भूमि	किशनपुरा	2	3.94	जंगलात
						3	3.66	जंगलात
						4	1.50	जंगलात
						5	2.15	जंगलात
						6	2.13	जंगलात
						9	4.53	जंगलात
						10	2.65	जंगलात
					योग	**7 किता**	**20.56 है0**	

हस्ताक्षर

सर्वेयर
उप वन संरक्षक,
बारां।

हस्ताक्षर

दीपक कुमार गुप्ता,
उप वन संरक्षक,
बारां।

द्वितीय अनुसूची

पेडो की सूची

क्र.स.	बोटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Anogeissus pendula, Wall	धौकडा, धौ, फलधी, धोक
2	Acacia catechu Willd	खैर
3	Balanites roxburghi, Roxb	हीगोट
4	Butea mono sperma, Koenig	फलास, खाखरा, छोला
5	Emblica officinalis	आंवला
6	Cassis, Fistula Linn	अमलतास
7	Diospyros melanoxylon, Rech	तेन्दू टेमरू
8	Madhuca latifolia, Roxb	महुआ
9	Tectona grandis, Linn	सागवान
10	Termincalia arjuna, Bedd	अर्जुन, कोहडा
11	Moringa oleifera	सेजना
12	Holoptelea integrifolia, Planch	चुरेल, कुंज, कांज

हस्ताक्षर

सर्वेयर
उप वन संरक्षक,
बारां।

हस्ताक्षर

दीपक कुमार गुप्ता,
उप वन संरक्षक,
बारां।

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

प्रमाण पत्र

जिला:- बारां
तहसील:- अटरू
रेंज:- शेरगढ
वनखण्ड: किशनपुरा
ग्राम:- किशनपुरा

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी वन भूमि का वर्गीकरण राजस्व रिकार्ड में महकमा जंगलात कर दिया गया है। जिस विज्ञप्ति में विस्तृत रूप से खसरा नम्बर विवरण सहित दर्शाया गया है।
2. भूमि पर वृक्षो का घनत्व 0.0 से 0.2 है।
3. सीमावृती क्षेत्र की स्थिति खातेदारी नदी, नाले व वन भूमि है। तथा सीमा का उल्लेख एवं खसरा नं. व रकबा विज्ञप्ति में दर्ज कर दिया गया है।
4. वनखण्ड का मानचित्र नक्शा एवं जमाबन्दी संलग्न है। जिसमें खसरा नं. व रकबा दर्ज है एवं जी.टी. शीट की छायाप्रति संलग्न है।
5. प्रस्तावित वनो के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीये गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे जिले की भूमि पर विभाग का साक्ष्य सिद्व हो सकें।
6. राजस्व अभिलेखो में अमलदरामद वन विभाग के नाम हो रहा है।
7. प्रस्तावित भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।
8. प्रस्तावित भूमि वन विभाग को परवन वृहद सिचाई परियोजना के बदले जिला कलक्टर बारां के आदेश प. 2 (73)राज.-3/14 दिनांक 01.12.2014 द्वारा आवंटन किया गया है।

हस्ताक्षर

सर्वेयर
उप वन संरक्षक,
बारां।

हस्ताक्षर

दीपक कुमार गुप्ता,
उप वन संरक्षक,
बारां।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।